

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, दुर्ग
दुर्ग क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर नाका दुर्ग-491001

क्र. २२५ दि. २१/०७/२०२६

प्रकरण क्रमांक CGRF/DURG/2026/168
दिनांक 30.06.2026

श्री विकास माधनकर,
पिता श्री रेखलाल माधनकर, एल.आई.जी 41,
फेस 02, लोटस सिटी, परसदा, दुर्ग
बी.पी. नं. 1008093699, मो नं. 7879448625

आवेदक

विरुद्ध

कार्यपालन अभियंता (संचा/संधा) संभाग
छ.स्टे.पॉ.डि.कं.लिमि., अहिवारा

अनावेदकगण

सहायक अभियंता उपसंभाग
छ.स्टे.पॉ.डि.कं.लिमि., कुम्हारी

विषय :- उपभोक्ता के घर के सामने से गुजर रही खराब विद्युत सर्विस केबल से वर्षा के दौरान बार-बार धुआँ उठने एवं संभावित विद्युत दुर्घटना की आशंका के संबंध में।

आदेश

(आज दिनांक 16.07.2026 को पारित किया गया)

1. विवाद का संक्षिप्त विवरण

आवेदक द्वारा प्रस्तुत परिवाद में उल्लेख किया गया कि उनके घर के सामने से गुजर रही विद्युत सर्विस केबल वर्षा के दौरान बार-बार धुआँ छोड़ती है, जिससे गंभीर विद्युत दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। इस संबंध में आवेदक द्वारा विभाग में दो बार शिकायत दर्ज कराई गई, किन्तु समस्या का वास्तविक निराकरण किए बिना शिकायतों का निराकरण दर्शाते हुए शिकायत में कार्यवाही किया जाना बताया गया

अतः आवेदक ने फोरम से अनुरोध किया कि संबंधित विभाग को उक्त खराब केबल को तत्काल बदलने अथवा हटाने हेतु निर्देशित किया जाए।

फोरम द्वारा उक्त परिवार को प्रकरण क्रमांक ८८८८/८८८८/२०२६/१६८ के अंतर्गत पंजीबद्ध कर सुनवाई प्रारंभ की गई। प्रकरण की सुनवाई दिनांक ०८.०७.२०२६ एवं १५.०७.२०२६ को की गई। सुनवाई के दौरान आवेदक अनुपस्थित रहे तथा अनावेदकों की ओर से सहायक अभियंता, उपरविभाग कुम्हारी उपस्थित हुए।

प्रथम सुनवाई दिनांक ०८.०७.२०२६ को सहायक अभियंता द्वारा अवगत कराया गया कि संबंधित शिकायत के निराकरण हेतु आवश्यक क्षमता (भूहीमत ब्बंबपजल) का उपयुक्त आकार का केबल विभाग में उपलब्ध नहीं है। केबल उपलब्ध होते ही उसे बदलकर शिकायत का निराकरण कर दिया जाएगा।

फोरम ने इस तथ्य को गंभीरता से लेते हुए यह अभिमत व्यक्त किया कि क्षतिग्रस्त केबल से धुआँ निकलना संभावित विद्युत दुर्घटना का स्पष्ट संकेत है तथा ऐसी स्थिति में केबल सामग्री की अनुपलब्धता का आधार लेकर आवश्यक सुधार कार्य में विलंब करना उचित नहीं है। विद्युत वितरण कंपनी का दायित्व है कि उपभोक्ताओं के जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए तत्काल आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करे। अतः फोरम द्वारा अनावेदकों को निर्देशित किया गया कि उक्त केबल को प्राथमिकता के आधार पर उच्च क्षमता के उपयुक्त केबल से तत्काल प्रतिस्थापित किया जाए तथा अगली सुनवाई में अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।

दिनांक १५.०७.२०२६ की सुनवाई के दौरान सहायक अभियंता द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया गया कि क्षतिग्रस्त केबल को बदलकर नया केबल स्थापित कर दिया गया है तथा समस्या का पूर्ण निराकरण कर दिया गया है। साथ ही यह भी बताया गया कि आवेदक विभाग द्वारा की गई कार्रवाई से संतुष्ट हैं।

2. निष्कर्ष

फोरम ने प्रस्तुत अनुपालन प्रतिवेदन का अवलोकन किया तथा पाया कि शिकायत का निराकरण कर दिया गया है। तथापि, फोरम यह आवश्यक समझता है कि विद्युत सुरक्षा से संबंधित शिकायतों का निराकरण भविष्य में अत्यंत प्राथमिकता के आधार पर किया

जाए, जिससे किसी भी प्रकार की दुर्घटना की संभावना को समय रहते समाप्त किया जा सके।

3. आदेश

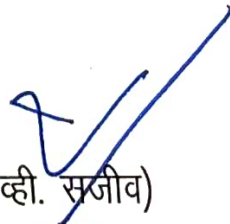
अतः फोरम निम्न आदेश पारित करता है-

1. अनावेदकों द्वारा आवेदक के घर के सामने से गुजर रही क्षतिग्रस्त सर्विस केबल को बदलकर उच्च क्षमता का नया केबल स्थापित किए जाने की कार्रवाई अभिलेख पर ली जाती है।
2. कार्यपालन अभियंता, संभाग अहिलारा एवं सहायक अभियंता, उपसंभाग कुम्हारी यह सुनिश्चित करेंगे कि विद्युत सुरक्षा से संबंधित शिकायतों का भविष्य में तत्काल निरीक्षण कर प्राथमिकता के आधार पर निराकरण किया जाए तथा आवश्यक सामग्री की उपलब्धता बनाए रखने हेतु उचित व्यवस्था की जाए, जिससे संभावित विद्युत दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।
3. उपरोक्त आदेश फोरम द्वारा विधिवत पारित किया जाता है।
4. प्रकरण फोरम के समक्ष प्रस्तुत तथ्यों एवं प्रतिवेदनों उपभोक्ता द्वारा जारी संतुष्टि के आधार पर निराकृत।
5. यदि शिकायतकर्ता/आवेदक फोरम द्वारा पारित उक्त आदेश से असंतुष्ट हो तो माननीय विद्युत लोकपाल रायपुर के समक्ष इस आदेश की प्राप्ति की तिथि से 45 दिनों के भीतर अपील दायर कर सकता है।


(ममता कश्यप)

सदस्य

विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग


(पी.व्ही. सजीव)

अध्यक्ष

विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग